

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/राँची/हजारीबाग/याँ०
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 01/04/2021

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत 60 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रु 8376.85 लाख (तेरासी करोड़ छिहत्तर लाख पचासी हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निर्देशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	8376.850

कुल आवंटित राशि - रुपये तेरासी करोड़ छिहत्तर लाख पचासी हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट उपबंध रु 11486.06 लाख (एक सौ चौदाह करोड़ छियासी लाख छः हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि.) दि.15.07.2003,1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

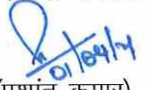
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

01/04/21

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अध्याचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन हार्ड कापी में Access No एवं Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनु. :- यथोक्त

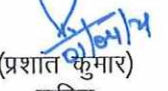

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 04

रॉची, दिनांक :- 01/04/2021

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. -हिन्नीरॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/सिमडेगा/हजारीबाग/जामताड़ा/राजमहल/मधुपुर/पाकुड़/जमशेदपुर/गुमला/चाईबासा/खूँटी/सिमडेगा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

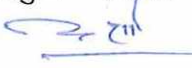

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 04

रॉची, दिनांक :- 01/04/2021

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(गो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पाँच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव


(प्रशांत कुमार)
सचिव

भाग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक

लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना

पत्रांक: 04

दिनांक: 01/04/21

का अनुलग्नक

परिशिष्ट 1

वित्तीय वर्ष 2021-2022		वित्तिय शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ता					वित्तिय शीर्ष-02-यात्रा व्यय					वित्तिय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										वित्तिय शीर्ष-04-मोटरगाडिगां		वित्तिय शीर्ष-07-अन्य व्यय		साराि लाख रुपये में	
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2020 के पूर्व का दरकाया	एलएटी01सं०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	कियाया दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वही	विपुल व्यय	मोटोसाइकिल खेप एवं	विविध प्रकार	कुल योग	अभिव्यक्ति												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
1	मुख्य अभि०, अभिन योजना, संचो	22.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	23.30													
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, देवर	120.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	121.30													
3	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, संचो	158.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	159.30													
4	मुख्य अभि० यांत्रिक, संचो	28.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.00	29.20													
5	अभिन योजना अंचल दुमका	6.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	6.90													
6	अभिन योजना अंचल संचो	20.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	20.90													
7	जलपथ अंचल, गुमला	75.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	76.00													
8	जलपथ अंचल, चार्दवासा	147.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	148.00													
9	जलपथ अंचल, दुमका	80.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	81.00													
10	जलपथ अंचल, संचो	160.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	161.00													
11	जलपथ अंचल, हजारीबाग	125.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	126.00													
12	रूपकाण आयोजन एवं मेसिटर्सिग अंचल, संचो	140.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	141.00													
13	रूपकाण अंचल, देवर	92.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	93.00													
14	सिंचाई अंचल, जलीहीह	180.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	181.00													
15	सिंचाई अंचल, जामताड़ा	68.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	69.00													
16	सिंचाई अंचल, मधुपुर	82.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	83.00													
17	सिंचाई अंचल, साहेबगंज	53.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	54.00													
18	सिंचाई यांत्रिक अंचल ,संचो	18.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.00	19.00													
19	अभिन योजना प्र० दुमका	30.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45													
20	अभिन योजना प्र०, संचो	120.00	९०0	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	120.50													
21	अभिन योजना प्र० साहेबगंज	39.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	39.75													

(संजय प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2021-2022		वित्तीय शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते					वित्तीय शीर्ष-02-यात्रा व्यय					वित्तीय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय					वित्तीय शीर्ष-04-मोटरगाडियो					वित्तीय शीर्ष-07-अन्य व्यय					राशि लाख रूपये में	
क्र० सं०	विवरण का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतन	एल०टी०पी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	विभागा,रूरे कार	अनुवर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	घरी	विपुल व्यय	मोटरगाडियो खर्च एवं	विशिष्ट प्रसार	कुल योग	अतिरिक्त													
1	कार्यालय का नाम	4852701030010 4852701030010 7000110	15.11.2000 के पूर्व का वेतन	485270103001 07000112	4852701030010 7000213	48527010300 107000315	485270103001 07000316	485270103001 07000317	485270103001 7000333	48527010300 107000334	485270103001 07000337	485270103001 07000442	4852701030010 7000766	कुल योग	अतिरिक्त													
22	आयोजन गुण नियंत्रण एवं मो प्रमंडल, देवर	184.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	184.75														
23	नागा पन्म नहर प्रमंडल , साहेबगंज	191.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	191.80														
24	गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची	215.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	215.75														
25	जलपथ प्रमंडल, छुँटी	280.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	280.80														
26	जलपथ प्रमंडल, गुमला	230.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	230.50														
27	जलपथ प्रमंडल सं.-1, बकबरपुर	172.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	172.50														
28	जलपथ प्रमंडल सं.-2, हजारीबाग	162.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50														
29	जलपथ प्रमंडल सं.-1,भैनापुर शिबिर गुमला	165.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	165.50														
30	जलपथ प्रमंडल सं.-2,भैनापुर गुमला	128.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	128.50														
31	जलपथ प्रमंडल सं.-1, सिमडेगा	238.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	238.75														
32	पुनर्वस पदाधिकारी, देवर	67.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.45														
33	पुनर्वस पदाधिकारी, मध्यम सिंकाई परियोजना, राँची	108.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	108.80														
34	पुनर्गती सौध प्रमंडल, पुनर्गती शिबिर-देवर	194.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	194.80														
35	पुनर्गती स्थलीय प्रमंडल, पुनर्गती देवर	245.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	245.50														
36	रूपांकण प्रमंडल सं.-2, देवर	116.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.45														
37	रूपांकण प्रमंडल सं.-4, देवर	132.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.45														
38	रूपांकण प्रमंडल सं.-2, राँची	397.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	397.50														
39	लघु वितरणी प्रमंडल, कुलुङगाल	69.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.45														
40	विशेष मू-अर्जन परा०, बार्दवाला	163.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	163.80														
41	विशेष मू-अर्जन परा० तेनुयाट परियोजना, हजारीबाग	132.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	132.75														
42	विशेष मू-अर्जन परा०, देवर	115.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.00	115.80														

(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)(प्रशांत कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2021-2022		विवृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते					विवृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय					विवृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विवृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विवृत शीर्ष-05-अन्य व्यय		साराि लाख रुपये में	
क्र.सं	वित्तीय वर्ष का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतन	एलपीसी	देवीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	विश्राम, रूक, आरुति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्षी	विपुल व्यय	मोटरगाड़ियां	वेतन एवं भत्ते	विशिष्ट प्रभार	कुल योग	अतिरिक्त												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
43	विशेष गै-अर्जन पदार्थ मध्यम सिंचाई परियोजना, दुमका	4852701030010 4852701030010 7000101 7000110	485270103001 485270103001 07000112	4852701030010 4852701030010 7000213	485270103001 485270103001 07000316	485270103001 485270103001 07000333	485270103001 485270103001 07000334	485270103001 485270103001 07000442	4852701030010 485270103001 7000760																		
44	विशेष गै-अर्जन पदार्थ, रेंवी	128.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00		128.75													
45	सिंचाई प्रमंडल, कुंजहित	202.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.30	0.00		202.80													
47	सिंचाई प्रमंडल गोड्डा, शिदिर-महाराणा	174.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174.45													
48	सिंचाई प्रमंडल, जकीडीह	128.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128.45													
49	सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा	203.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.30	0.00		203.80													
50	सिंचाई प्रमंडल, दुमका	160.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.45													
51	सिंचाई प्रमंडल, देवघर	240.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00		240.50													
52	सिंचाई प्रमंडल, नाला	284.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00		284.75													
53	सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़	115.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00		115.50													
54	सिंचाई प्रमंडल, बड़हरवा	112.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112.50													
55	सिंचाई प्रमंडल, सिकरिया	115.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115.45													
56	सिंचाई प्रमंडल, सं-1, बरहेट	182.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182.45													
57	सिंचाई प्रमंडल, सं-2, जामताड़ा	119.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119.45													
58	सिंचाई प्रमंडल सं-2, सिकरिया	162.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.45													
59	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, देवघर	130.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.30	0.00		130.80													
60	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, रेंवी	220.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.30	0.00		220.80													
	आवंटन का योग	193.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.00	0.00	0.05	0.00	0.30	0.00		193.80													
	आवंटन का योग	8333.00	0.00	0.00	12.10	16.05	0.00	0.00	2.70	0.00	13.00	0.00		8376.85													

आवंटित राशि -

रुपये तैरासी करोड़ छिहत्तर लाख पचासी हजार मात्र

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव(अभिनो)(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव(प्रशांत कुमार)
सचिव